राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रताप नगर जयपुर 302033 फोन नं.2796625मेल– DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः सामा./को./2020/**918–919** दिनांकः **23.03.2020**

विषय :– कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी में कार्य हेतु दिशा–निर्देश।

आदेश

कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी घोषित किये जाने की स्थिति के दृष्टिगत जनहित में आदेशित किया जाता है कि कोरोना वायरस प्रकोप के कारण समस्त विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के इस दौरान समस्त प्रकार के अवकाश (साप्ताहिक व राजकीय अवकाश सहित) तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिये गये है तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नही है। उक्त सन्दर्भ में विभागीय आदेश क्रमांक 822–24 दि. 07.03.2020 की पालना पूर्णतया सुनिश्चित करने हेतु पुनः आदेशित है।

कोरोना वायरस प्रकोप के प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु स्थानीय प्रशासन व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करे। दैनिक चिकित्सा कार्य में कोरोना वायरस की रोकथाम व नियंत्रण हेतु आयुष मंत्रालय, भारत सरकार व शासन द्वारा समय समय पर प्रदत्त सलाहकीय निर्देशो के अनुरूप चिकित्सकीय परामर्श व बचाव के उपाय हेतु आमजन को जागरूक करें।

दैनिक रोगियो में संदिग्ध मरीजों (बुखार, सूखाी खॅासी सांस लेने में कठिनाई आदि) का पूर्ण विवरण नाम, पता, मोबइल न., विगत 14 दिवस का यात्रा विवरण आदि डाटा का संधारण कर निकटतम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थय केन्द्र/जिला अस्पताल हेतु रैफर करे।

निदेशक

क्रमांकः सामा./को./2020/**918–919** दिनांकः **23.03.2020**

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त प्रभारी/चिकित्साधिकारियों/कर्मचारियों राज. यूनानी चिकि./औष./केन्द्र समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार कार्य संपादन हेतु आदेशित किया जाता है।
3. प्रभारी अधिकारी विभागीय वेबसाईट को दी जाकर लेख है कि उक्त सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

अति निदेशक

424

E/Sam